टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 टोंक
F 126,128 *रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया , जयपुर बाईपास रोड, टोंक , पिन कोड: 304001*

ई–निविदा टोंक मार्ग

निविदा का नाम	टोंक शहर नगरपरिषद क्षेत्र सीमा अन्तर्गत प्रातः एवं सांय पौलीपैक दूध परिवहन, क्रेट्स संग्रह एवं दूध राशि जमा करवाने हेतु वितरक नियुक्त करने बाबत्
निविदा शुल्क (नॉन रिफन्डेबल)	रू. 2000/– का डी.डी. (अक्षरे दो हजार रूपये) + 18% GST (टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., टोंक के पक्ष में)
अनुमानित निविदा मूल्य	25 करोड रूपये प्रति वर्ष
निविदा प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफन्डेबल)	रू. 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बेंकर्स चैक (M.D. , RISL ,payable at Jaipur) के पक्ष में
निविदा आवेदन/डाउन लोड करने की दिनांक एवं समय	08.09.2021 से 28.09.2021 के सांय 5 बजे तक
निविदा प्रस्तुत /अपलोड करने की दिनांक एवं समय	08.09.2021 से 28.09.2021 के सांय 5 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	29.09.2021 को मध्यांह 3:00 बजे से
निविदा शुल्क, (2,000रू.) + 18% GST निविदा प्रक्रिया (प्रोसेसिंग फीस) शुल्क (1,000रू.) भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक एवं समय	29.09.2021 को प्रातः 10 बजे से मध्यांह 2:00 बजे तक संघ कार्यालय टोंक में।

प्रबन्ध संचालक

ई–टेंडर हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

(अ) सामान्य

1. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक संख्या एफ.1(1) एफ.डी./जी.एफएण्ड्ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नम्बर 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रू. तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रू. अधिक राशि के कार्यो के लिये 2000/– रू. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बेंकर चैक मेनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।

(ब) बिडिंग डाक्यूमेंट

1. निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईटwww.eproc.rajasthan.gov.inसे दिनांक 08.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 28.09.2021 को सांय 5:00 बजे तक डाउनलोड कर सकते है। इन निविदाओं को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.inपर जमा कराएं।
2. उक्त कार्य की निविदा प्रपत्र को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 08.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 28.09.2021 को सांय 5:00 बजे तक जमा कराये जा सकते है। एवं प्राप्त निविदाओं में से योग्य निविदादाताओं को तकनीकी निविदा इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में बेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपस्थित निविदादाताओं व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 29.09.2021 को दोपहर 03:00 बजे से खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय उसी स्थान पर निविदाये खोली जावेगी।

   अ. निविदाओं की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
   ब. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाईटwww.eproc.rajasthan.gov.inपरनिविदा प्राप्ति कार्यालय में खोली जावेगी। जिसके लिए समय एवं दिनांकसफल निविदादाताओं को सूचित कर दिया जावेगा।

3. निविदा प्रपत्र को वेबसाईटwww.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रताका विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है। निविदादाता इन प्रपत्रो को डाउनलोड कर सकते है।

4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क टोंक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., टोंक् के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अतिरिक्त शुल्क, (निविदा प्रक्रिया शुल्क)Managing Director, RISL payable at Jaipur.के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संघ कार्यालय में दिनांक 29.09.2021 को 02:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
5. धरोहर राशि हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ही स्वीकार किये जायेगे।
6. **ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–**
   अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साइट www.eproc.rajasthan.gov.inसे डाउनलोड कर सकते है।
   ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईटwww.eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैघ डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
   स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।
   द. ऑन लाइन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 2 (अ) के अनुसार खोली जाएगी।
   य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
   र. कोई भी टैडर इलेक्ट्रोनिकी जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
   ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
7. निविदा सूचना इंटरनेट साईटwww.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
8. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
9. निविदा सूचना का डिस्पलेsppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी किया गया है।

भाग ‘अ’

तकनीकी निविदा

परिशिष्ठ – 1

निविदा स्वीकृति पत्र
(फर्म/ऐजेन्सी के लेटर हैड पर दिया जावे)

प्रबन्ध संचालक,

टोंक जिला दुग्ध उत्पादक

सहकारी संघ लि0 टोंक (राज.)

विषय :–निविदा प्रपत्र की शर्तो एवं नियम पर सहमति बाबत्।

निविदा संदर्भ :–

निविदा आई.डी.नं. :–

कार्य का नाम :–

महोदय,

1. मैंने/हमने उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र प्राप्त/वेबसाईट से डाउनलोड कर लिया है।
2. मैं/हम प्रमाणित करते है कि निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो, परिशिष्ठ, नोटिस आदि जो कि कॉनट्रेक्ट एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, को पढ़ लिया है एवं अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं/हम सभी वर्णित नियम एवं शर्तो का पालन करेंगे।
3. सहमति पत्र प्रस्तुत करते समय मैं/हम उक्त निविदा के संबंध में समय–समय पर जारी संशोधन का ध्यान रखेंगे।
4. मैं/हम निविदा प्रपत्र एवं समय–समय पर जारी संशोधन सहित निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं।
5. यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित किसी भी शर्त काउल्लंघन करना पाया जाता है तो टोंक दु.उ.स.सं.लि., प्रबंधन के पास उपलब्ध अन्य कानूनी विकल्प पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले हुए वह मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गयेनिविदा प्रपत्र को निरस्त करने के साथ–साथ मेरे/हमारे द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त की सहमति स्वरूप निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ठ –2

भाग – अ ''तकनीकी निविदा''

(नोट – क्र.सं. 4 से 16 तक की सूचनायें वेबसाईट पर अपलोड करें।)

1.	निविदादाता / फर्म / व्यक्ति / संस्था का पूरा नाम / प्रोपराईटर / पार्टनरशिप	
2.	निविदादाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर)	
3.	क्षेत्र (मार्ग) का नाम जिसके लिए निविदा भरी जानी है।	नगर परिषद क्षेत्र टोंक शहर
4.	निविदादाता का स्थायी पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर) (साक्ष्य के लिए राशन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / आधार कार्ड / पानी / टेलीफोन / बिजली के बिल की सत्यापित प्रति) अपलोड करे।	
5.	एफएसएसआई एक्ट के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा पंजीकृत वैध प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।	
6.	निविदादाता / फर्म का परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर की प्रति अपलोड करे।	
7.	निविदाता की जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अपलोड करे।	
8.	समान कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।	
9.	गत दो वर्ष की दाखिल आयकर रिर्टन की प्रति अपलोड करे। संबंधित संस्था / पार्टनरशिप / व्यक्तिगत जिसके नाम से टेण्डर भरा जा रहा है, उसका मिल्क सेल का टर्नऑवर 10 करोड रूपये से कम नही होना चाहिए प्रतिलिपी अपलोड करे।	
10.	शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास की अंकतालिका की प्रति अपलोड़ करे।	
11.	इन्सूलेटेड वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र की छायां प्रतियां अपलोड़ करे। वाहन मॉडल 2018 से पुराना नही हो। नया वाहन खरीद कर लगाने के लिए (रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) 2A 2B भरकर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर अपलोड करें।	
12.	स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित केन्सल चैक अपलोड़ करे।	
13.	बिड सिक्यूरिटी के संबंध में 50 रूपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र की प्रति अपलोड करे।	
14.	निविदा शुल्क रू. 2000/–अक्षरे दो हजार रूपये मात्र + 18% GST का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बेंकर्स चैक (टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 टोंक के पक्ष में)	बैंक ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
15	निविदा प्रक्रिया शुल्क रू. 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बेंकर्स चैक (Managing Director, RISL Payable at Jaipur)	बैंक ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
16.	तकनिकी निविदा में सफल होने हेतु परिशिष्ट – 2 अनुसार चाही गई सूचनाऐं / संलग्नक (परिशिष्ट 3 व 4 शपथ पत्र सहित)।	
17	कार्य प्रारम्भ करने के लिए अवधि	अधिकतम 15 दिन
18	सफल निविदादाता द्वारा 36 माह की अवधि हेतु बैंक गारन्टी 20 लाख रू. (अक्षरे बीस लाख रूपये मात्र) की परफोरमेन्स बैंक गारन्टी किसी भी अनुसूचित / राष्ट्रीयकृत बैंक की जमा करानी होगी।	
19	संलग्न शर्तो पर सहमति के लिए आवेदन प्रपत्र के प्रत्येकपेज पर हस्ताक्षर करें)	हॉ अथवा नही

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदा प्रपत्र में चाहे गये शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है (रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) भरकर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर अपलोड करें।

मैं .... पुत्र श्री .... सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण सही एवं सत्य है तथा टोंक दुग्ध संघ की सभी शर्ते स्वीकार है।

मैं निविदादाता .... पुत्र श्री .... निविदा प्रपत्र की शर्तो के अनुसार मांगे गये की सत्यापित प्रतियॉ संलग्न कर रहा हूँ।

साथ ही घोषणा करता हूँ कि मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन/न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा न ही मुझे पूर्व में आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्वारा अनियमितता के कारण दण्डित/ब्लेक लिस्टेट किया हुआ है।

यदि तकनीकी निविदा में, मैं असफल रहता हूँ तो मेरी वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम .... (आवेदक)

स्थान ....

दिनांक ....

वाहन क्रय कर लगाने हेतु
प्रारूप शपथ पत्र (100 /– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा।)

मैं श्री .... पुत्र श्री .... निवासी .... शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ। कि मै टेण्डर .... (मार्ग का नाम) में मांगा गए निर्धारित मॉडल के अनुसार इन्सुलेटेड वाहन क्रय कर लगाना चाहता हूँ।

यदि मैं निर्धारित अवधि में वाहन टेण्डर शर्तो के अनुसार नही लगा पाता हूँ तो संघ टेण्डर शर्तो के अनुसार कार्यवाही कर सकता हे।

हस्ताक्षर निविदादाता

सत्यापन नोटेरी पब्लिक द्वारा

–: शपथ पत्र :–

(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं निविदादाता .... पुत्र श्री .... पता .... सशपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी न्यायालय से आपराधिक प्रकरण में दण्डित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

–: शपथ पत्र :–

(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

1. मैंनिविदादाता .... पुत्र श्री .... पता .... सशपथ पूर्वकघोषणा करता हूॅं कि राज्य के किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं को–ऑपरेटिव ईकाई (पशुआहार संयंत्र/डेयरी प्लान्ट/बडी औद्योगिक ईकाई इत्यादि) के द्वारा कभी भी मुझे ब्लेक लिस्टेड नहीं किया हुआ हैं।

2. मैने/हमने निविदा की समस्त शर्ते पढ़कर समझ ली हैं तथा मैं/हम इन समस्त शर्तो का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हूॅं, यदि निविदा अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन मेरे/हमारे द्वारा किया जाता है, तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावें।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

निविदा प्रस्तुत कर्ता का नाम व हस्ताक्षर

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :
To :
....
....

We, the undersigned, declare that :
We understand that, according to your condition, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not excute the agreement, if any, after placement of supply / work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply / work order within the time specified;
(d) when we do not deposite the performance security within specified period after the supply / work order is placed; and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forefeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall exprire if : -

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procutement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : ....
Name : ....
In the capacity of : ....
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :
Dated on day of
Corporate Seal

[Note : In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

भेजे जाने वाले दस्तावेज की सूची

1. परिशिष्ठ –1 के अनुसार निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तो पर सहमति।
2. परिशिष्ठ –2 के अनुसार चाही गई सूचनाऐं।
3. परिशिष्ठ –2 के बिन्दु संख्या 4 से 16 के अनुसार संलग्नक।
4. परिशिष्ठ –2 के बिन्दु संख्या 13,14 एवं 15 अनुसार धरोहर/अमानत राशि,निविदाशुल्क, निविदा प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट।
5. तकनीकी निविदा में सफल होने हेतु परिशिष्ठ–2 अनुसार चाही सूचनाऐं/संलग्न करें । (परिशिष्ठ 3, 4, 5 शपथ पत्र सहित)।
6. परिशिष्ठ –7 के बिन्दु अनुसार प्रस्तावित प्रतिस्पर्धात्मक दरे केवल निर्धारित शीट में अपलोड की जानी चाहिए और निर्धारित शीट में कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

....

परिशिष्ठ –6

निविदा सूचना टेण्डर फार्म विवरण

1. निविदा भरने की विधि :

1.1 निविदा साफ शब्दो / अंको निविदासाफशब्दो/अंकों मेंभरी होनी चाहिये एवं किसी प्रकार कीकटिंग पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है।शब्दोंएवंअंकोंके मार्जिन दर प्रति लीटर में अन्तर पाये जाने परदोनों में से न्यूनतम लिखी मार्जिन दरप्रतिलीटर को ही मान्यता दी जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं प्रस्तुत प्रपत्रों की समस्त छाया प्रतियों पर निविदादाताहस्ताक्षर करे व संपूर्ण निविदा प्रपत्र अपलोड करें।

1.2 निविदा फार्मदो अलग–अलग (भाग 'अ' तकनीकी भाग एवं भाग 'ब' मार्जिन भाग) मे अपलोड करना होगा जिसपर मार्ग का नाम अंकित करना होगा। भाग 'अ' में सक्षमता, योग्यता की परख के उपरान्त सफल/ योग्य पायेजाने पर ही भाग 'ब' को उसी दिन या निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। भाग 'अ' में अयोग्य पाये जाने वालेनिविदादाता को अयोग्य माना जाते हुए निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

1.3 दरेंदशमवलपैसों मेंस्वीकारनहीं की जावेगी, अतः निविदादाता अपनीदरें राउण्ड अप पैसों में देगा यदि रूपयेव पैसेसहितदरहै तो रूपयेव दशमलव पश्चात् दो अंकों में ही पैसे लिखेगा।

2. अमानत राशि

2.1 निविदाफार्मके साथ निर्धारित अमानत राशि जिसका विवरण निविदा सूचना अनुसार का ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर कोअपलोड करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। जमा राशि पर संघ द्वारा ब्याज देय नहींहोगा।

2.2 सफल निविदादाता द्वारा कार्यप्रारम्भ करने के पश्चात् बाकी सभी की अमानत राशि लौटा दी जायेगी।

2.3 न्यूनतमनिविदादाता कीमार्जिन दर प्रतिलीटर स्वीकृत करने अथवा कार्यादेश देने के पश्चात् अनुबन्ध सम्पादन अथवा कार्य प्रारम्भ नहीं करने की दशा में अमानत राशि जब्त करने काअधिकार प्रबन्धन के पास सुरक्षित है।

2.4 किन्हींआंतरिकअथवा वैधानिक कारणों से समस्त निविदाओं को निरस्त करने की स्थिति में या न्यूनतमनिविदादाता की निविदा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में प्रबन्धन संबंधित निविदादाताओं की अमानत राशि लौटासकेगा जो सभी को मान्य होगा।

2.5 यदि अमानत राशि का ड्राफ्ट संघ में जमा होता है तो निविदादाता ऐसी जमा की पक्की रसीद प्राप्त कर एवंभुगतान के समयउक्त जमा रसीद को समर्पित करें। संघ में जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.6 निविदादाता जिसके पास वाहन के पत्रादि उपलब्ध होंगे का ही दर भाग टेण्डर कमेटी द्वारा खोला जायेगा।

3. निविदादाता की योग्यतायें

3.1 संघमेंकार्यरतअधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य /एवंउनके परिवार के आश्रित सदस्य (स्वयंपत्नीआश्रितपुत्रएवं पुत्र वधु)निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

3.2 निविदाकर्तानाबालिग, अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं होना चाहिये। निविदाकर्ता न्यायालय से घोषितअपराधी/ दीवालिया करार नहीं होना चाहिये।

3.3 निविदादाताको पंजीकृत भागीदारी फर्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी केरजिस्टर्ड डीड अपलोड करने होंगे। निविदादाता को 100 रु के नवीन स्टाम्प पर पावरआफ अटोर्नी अपलोडकरनी होगी।

3.4 ऐसीफर्मजो प्रोपराईटरशिप के रूप में हैं उसमें मालिक का स्वयं का निविदा में भाग लेना अपेक्षित है अन्यथापॉवरऑफअटोर्नीके द्वारा प्रतिनिधि अथवा प्रबन्धक भाग ले सकेगा।

3.5 निविदादाता उक्त निविदा मे भाग लेने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना चाहिऐ।

3.6 अनुबन्धकर्ताअपनी अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी पार्टी/ संस्था/ व्यक्ति से अन्य कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं करसकेगा जो कि संघ के हित में नहीं हो। ना ही अनुबन्ध को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य कोउपभाडा (सबलेट) कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ प्रबन्धन को अनुबन्धनिरस्त करने का अधिकार होगा।

3.7 (अ)वाहन पंजीयन फिटनेस बीमा निविदादाता के नाम होना आवश्यक है व स्वयं द्वारा सत्यापित पंजीयन पत्रादि की प्रति अपलोड करनी होगी। इस स्थिति में 2018 से पुराना मॉडल स्वीकार नहीं होगा।

3.8 निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो जाने पर उसे निर्धारित अवधि में वाहन लगाना होगा, निर्धारित अवधि तक वाहन नहीं लगाने वाले अनुबन्धकर्ता विपणन विभाग में होने वाले किसी भी निविदा में दिसम्बर 2023 तक भाग नहीं ले सकेगा।

3.9 डीफाल्टर दुग्ध वितरक निविदा में भाग नही ले सकता हैं।

3.10 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दुग्ध संघ के कार्य क्षेत्र में सरस दुग्ध उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में लिप्त व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग नही ले सकता है।

4. <u>निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के कानूनी अधिकार :–</u>

4.1 निविदा प्रपत्र जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसको हस्ताक्षर के नीचे यह लिखना अनिवार्य है कि वह फर्म का स्वयं मालिक हैं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि हैं अथवा भागीदार है अथवा प्रबन्धक है। इन समस्त परिस्थितियों में फर्म के मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को 100 रु के स्टाम्प पर पॉवरऑफ अटोर्नी फार्म के साथ अपलोड करना होगा।

5. <u>अनुबन्ध अवधि, समाप्ति, नवीनीकरण, भंग आदि :</u>

5.1 अनुबन्ध अवधि **दो वर्ष** के लिए होगी एवं यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो उक्त अनुबन्ध का नवीनीकरण आगामी 3 माह के लिए और किया जा सकेगा। अर्थात् कुल अनुबन्ध अवधि 2 वर्ष 3 माह से अधिक नही हो सकेगी। मूल अनुबन्ध अवधि अथवा नवीनीकरण के पश्चात् अनुबन्ध अवधि समाप्त होने की दशा में किसी कारणवश निविदा में विलम्ब होता है तो प्रबन्धन तीन माह अथवा नयी निविदा होने तक जो भी पहले हो तक के लिए अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकेगी जो ठेकेदार को मान्य होगी।

5.2 दोनो पक्ष यदि सहमत होते है कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अनुबन्ध का संचालन आगामी अवधि कि लिये करना सम्भव नहीं हो तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध की समाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है।

5.3 यदि अनुबन्ध कर्ता अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करता है जिसके कारण संघ को लगातार हानि होना प्रमाणितहोता है, अनुबन्धकर्ता गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना पाया जाता है, संघ की सम्पतियों को नुकसानपहुंचाना, चोरी करना, संघ के स्टाफ के साथ मारपीट करना, डराने धमकाने की गतिविधियां करता है अथवाअनुबन्धित कार्य करना बन्द करता है अथवा अनुबन्धकर्ताके विरूद्ध किसी भी कारणवश पुलिस विभाग मेंअपराधिक मामला दर्ज होना पाया जाता हैं तोअनुबन्ध भंग की श्रेणी माना जायेगा इस संबंध में प्रबन्ध संचालकके पास यह विशेषाधिकार होगा कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए संघ के हितों को सुरक्षित रखते हुए अनुबन्ध की समाप्ति / समुचित आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

6. <u>धरोहर राशि :</u>

6.1 सफल अनुबन्धकर्ता वितरक की अमानत राशि 5,00,000 रू. नगद,तथा 1,00,000 रू. क्रेरेट पेटे जमा करानी होगी क्रेरेट कम होने पर राशि का समायोजन इस जमा राशि में से किया जावेंगा ।इसके बाद और राशि कम पडने पर जमा धरोहर राशि में से समायोजित की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा, तथा अमानत राशि टेण्डर पश्चात न्यूनतम दर दाता के अलावा अन्य निविदाताओं को लौटा दी जावेगी। जिसका विवरण निविदा सूचना अनुसार है धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी।

6.2 बैंक गारन्टी राशि की मात्रा में कमी अथवा बढोतरी सक्षम कमेटी की अनुशंषा अथवा काम में कमी अथवा वृद्धि के मध्यनजर प्रबन्ध संचालक समुचित निर्णय ले सकता है।

6.3 अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् समस्त बकाया की वसूली होने के बाद एवं संबंधित अनुमागों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद धरोहर राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु अनुबन्धकर्ता के विरूद्ध किसी भी राज्य अथवा सरकार के विभाग द्वारा अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय डिमाण्ड को भरने हेतु संघ को बाध्य किया जाता है एवं उसकी धरोहर राशि अथवा देय भुगतान पर रोक लगा दी जाती है अथवा सीधे भुगतान उन्हें स्थानान्तरित करने के आदेश संघ को मिलते हैं तो ऐसे समस्त भुगतान ठेकेदार को किये हुये माने जायेंगे जिसका संघ पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

6.4 संघ की किसी भी प्रकार की बकाया राशि की वसूली अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में से की जा सकेगी।

6.5 नकद धरोहर राशि के अतिरिक्त अनुबन्धकर्ता को माह 36 की अवधि के लिये अद्यतन निर्धारित परफोरमेन्स बैंक गारन्टी रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर किसी भी अनुसूचित अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाकर संघ के नाम करवानी होगी। उक्त बैंक गारन्टी को भुगतान/जब्त करने अथवा भुगतान प्राप्त करने अथवा लौटाने के लिये धरोहर राशि चेपटर में बने अन्य नियम इस हेतु समानान्तर रूप से लागू हो सकेंगे। अनुबन्धों के नवीनीकरण की दशा में प्रचलित बैंक गारन्टी का नवीनीकरण आपसी सहमति एवं आपस में तय की गई प्रक्रिया के अनुसार करवाना होगा। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित होगा।

7. <u>निविदा प्रक्रिया की सामान्य जानकारी</u>

7.1 सामान्य रूप से यथोचित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं संघ की नजर में बहुत अधिक व्यक्ति व्यवसाय इस कार्य क्षेत्र में बाजार में उपलब्ध यदि हैं तो न्यूनतम तीन निविदायें प्राप्त होने पर निविदा खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी, किन्तु यदि संघ के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादन करने के लिये एवं होने वाली भावी हानियों को बचाने के उद्देश्य से अथवा टेण्डर प्रक्रिया की पालना नहीं होने के कारण संघ के कार्य अवरोध हो जाने की दशा में अथवा अन्य आन्तरिक कारणों के मध्यनजर सक्षम कमेटी की अनुशंषा पर प्रबन्ध संचालक महोदय तीन से कम निविदा होने अथवा सिंगल निविदा होने पर भी संघ हित में निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

7.2 विषम परिस्थितियों में अथवा निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से लेकर निविदा खोलने की तिथि के मध्य तक किसी भी प्रकार की परिस्थिति की परिवर्तन अथवा प्राप्त निविदाओं स्थिति, कार्य आकस्मिकता, महत्व अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों के मध्येनजर प्रबन्ध संचालक महोदय को निविदा की किसी भी शर्त संशोधन करने निरस्त करने अथवा शर्तो में शिथिल करने का पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार

अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध करने के पश्चात् भी अनुबन्ध की शर्तों को लागू करने, कम करने, शिथिल करने, किसी भी शर्त को समाप्त करने अथवा किसी भी शर्त को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय के पास रहेगा।

7.3 किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने, अस्वीकृत करने अथवा वितरक मार्जिन को नेगोशियेशन का अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित है।

7.4 न्यूनतम मार्जिन वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए प्रबन्ध संचालक बाध्य नहीं होंगे।

8. <u>प्राकृतिक आपदायें एवं राजकीय बाध्यतायें :–</u>

8.1 किसी भी प्राकृतिक आपदा यथा तूफान, व्यापक हड़ताल/हिंसा–उपद्रव, भूकम्प अथवा किसी राजकीय कानून के लागू हो जाने के कारण अनुबन्ध का चालू रखना सम्भव नहीं रखने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा एवं ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष होने वाली अपनी अपनी हानि को स्वयं वहन करेंगे तथा अनुबन्ध भंग होने की स्थिति में संघ का कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9. <u>विवादों का निपटारा/विवाचन (आरबींट्रेशन) :</u>

9.1 टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. टोंक और निविदादाता के मध्य इन शर्तों में लागू नियम की व्याख्या अथवा उनके प्रयोग संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संघ का मत मान्य होगा। यदि संघ के मत से कोई निविदादाता असंतुष्ट है तो इससे उत्पन्न विवाद को संघ द्वारा नियुक्त एकल विवाचक (सोल आर्बीट्रेटर) को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, एवं समस्त कार्यवाही आर्बीट्रेशन एवं कन्सीलियेशन एक्ट 1996 के तहत सम्पादित की जायेगी। इस प्रकार की कार्यवाही में दिया गया निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। विवाचन की कार्यवाही एवं अवार्ड्स से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां उसी स्थान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगी, जिस स्थान पर टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का मुख्यालय स्थित है, अर्थात टोंक (राजस्थान) होगा। तद्उपरान्त सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र केवल और केवल टोंक की अदालत के न्याय अधिकार क्षेत्र में आयेगा।

9.2 सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र टोंक ही होगा।

9.3 किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की दशा में उसका समाधान पंच निर्णायक कानून की प्रक्रिया के अनुसार होगा, जिसमें प्रबन्ध संचालक द्वारा दिया हुआ निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

10. <u>निविदा स्वीकार करने का अधिकार :</u>

10.1 टोंक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. टोंक किसी भी निविदा अथवा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। संघ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सम्पूर्ण निविदा अथवा निविदा के किसी हिस्से को स्वीकार करें।

11. <u>निविदा हस्तान्तरण अथवा अन्य व्यक्ति को सबलेट करना :</u>

11.1 प्रबन्ध संचालक की अनुमति के बिना अनुबन्ध का हस्तान्तरण नही किया जा सकेगा। अनुबन्धकर्ता अपने अनुबन्ध को किसी भी अन्य को सबलेट नहीं कर सकेगा।

11.2 यदि प्रबन्धन की अनुमति पर अनुबन्धकर्ता अपने अनुबन्ध हस्तान्तरण करना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में

1. रू. पॉच हजार संघ में शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे।
2. ऐसा करने के लिये एक माह का नोटिस देना होगा।
3. वर्तमान अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त किया जावेगा एवं प्रस्तावित पक्षकार नवीन अनुबन्ध पत्र, धरोहर राशि बैंक गारन्टी इत्यादि की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर लेता है तत्पश्चात् ही संघ में जमा धरोहर राशि, बैंक गारन्टी पुराने पक्षकार को अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् लौटाई जा सकेगी।
4. इस सम्बन्ध में संघ द्वारा आपसी सहमति पर एवं अन्य विशेष शर्तें/ प्रतिबन्ध यदि संघ लागू करता है तो तीनों पक्षकारों को मान्य होगी।
5. यदि टेण्डर सबलेट किया जाता है तो जिसके नाम टेण्डर सबलेट किया जा रहा है उसको टेण्डर शर्तो के अनुसार अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है।

12. <u>अनुचित साधनों या युक्तियों का उपयोग :</u>

12.1 निविदादाता द्वारा निविदा को स्वीकृत करवाने के लिये किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव अथवा अनुचित प्रभाव का उपयोग अथवा उपहार, किसी प्रकार की उत्कोच संस्था के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को देना पाया जाना अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसी समस्त गतिविधियों पर संघ में प्रतिबन्ध हैं।

12.2 अनुचित साधनों अथवा अनुचित दबाव प्रभाव का प्रमाण होने की स्थिति में निविदादाता की निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकेगी।

13. <u>बकाया राशियों की वसूली</u> :–

13.1 संघ अपनी समस्त बाकियात की वूसली अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में से अथवा उसकी बैंक गारन्टी को भुनवाकर फिर भी यदि कोई बकाया राशि रहती है तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वसूली करने के लिये अधिकृत रहेगा।

13.2 अनुबन्धकर्ता के अनुबन्ध के सम्पादन के दौरान कार्य में की गई लापरवाही अथवा राजकीय कानून का उल्लंघन किये जाने के परिणाम स्वरूप भविष्य में किसी भी सरकारी विभाग द्वारा पेनाल्टी अथवा बकाया राशियों का दावा पेश करने के कारण यदि संघ को किसी प्रकार की कोई हानि उठानी पड़ती है, उस दशा में संघ एक माह का नोटिस देकर उक्त राशि का पुनर्भरण करने के लिये संघ अनुबन्धकर्ता को सूचित करेगा। यदि संघ की हानि की पूर्ति अनुबन्धकर्त्ता नहीं करता है तो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा संघ कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये सक्षम रहेगा।

13.3 अनुबन्धकर्ता, संस्था, फर्म अथवा सेवा प्रदाता केन्द्रीय/राजकीय कर, अधिभार, शुल्क, लेवी, सेवाकर इत्यादि के लिए अनुबन्धकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

13.4 अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान संघ में होने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि अथवा बकाया भुगतान होने पर अनुबन्धकर्त्ता पर 0.10 प्रतिशत (दशमलव एक शून्य प्रतिशत) प्रतिदिन की गणना करते हुये ब्याज व शास्ति पेटे राशि वसूल की जावेगी। किन्तु उक्त ब्याज की दर में कमी प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर तथा संघ का हित सुरक्षित रखते हुए आपसी सहमति के आधार पर ही की जा सकने का अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित है।

13.5 टोल शुल्क तथा अनुबन्ध अवधि मे नये चालू होने वाले टोल की राशि का पुर्नभरण दुग्ध संघ द्वारा नही किया जायेगा,इसके लिये अनुबन्धकर्त्ता स्वयं व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होगा।

13.6 डीजल की दरो में वृद्वि/कमी होने के कारण परिवहन दरें परिवर्तित नही होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील पूरा पता

दुग्ध वितरण खाली क्रेटस संग्रहण व दुग्ध बिक्री राशि संग्रहण कर संघ में या संघ के बैंक खाते में जमा करने के कार्य हेतु विशेष शर्तें –

(अ) दुग्ध वितरण कार्य :–

1. अनुबन्धकर्ता वितरक स्वयं के खर्चे पर संघ निर्देशानुसार अपने दुग्ध वाहन पर टोंक गोल्ड की थैली कीडिजाइन एंव सरस लोगो की पैटिंग करने के लिये बाध्य होगा एवं खराब होने की स्थिति में अपने खर्चे पर सही करवाना होगा। इसी प्रकार अनुबन्ध समाप्ति पर उपरोक्त पेंटिग को मिटाना होगा।
2. विशेष परिस्थितियों में दूध वितरक कार्य बन्द रखा जा सकेगा, जिसकी कोई क्षति पूर्ति देय नही होगी। संघ के दूध वितरण जोन / मार्ग अनार्थिक होने पर पन्द्रह दिवस का नोटिस देने के बाद मार्ग पर दूध वितरण का कार्य बन्द किया जा सकेगा। जिसके लिये कोई भी हर्जाना / क्षतिपूर्ती देय नहीं होगी।
3. इन्सुलेटेड वाहन के स्थान पर विशेष परिस्थिति में साधारण वाहन का उपयोग करने पर या इन्सुलेटेड वाहन काइन्सुलेशन खराब होने पर स्वीकृत मार्जिन का सत्तर प्रतिशत से संघ भुगतान करेगा।
4. अनुबन्धकर्ता अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में सप्लाई करने को बाध्य होगा। यदि अनुबन्धकर्ता सम्पूर्ण क्षेत्र में सप्लाई नही करता है अथवा कोई क्षेत्र / इलाका छोडता है तो उसको स्वीकृत दर में से 25 प्रतिशत कटौती करते हुए स्वीकृत दर का 75 प्रतिशत ही भुगतान किया जावेगा।
5. माल वितरण के दौरान संघ दुग्ध वितरण केन्द्रों पर / रास्ते में आने जाने पर दुर्घटना होने पर अनुबन्धकर्ता वितरक की लापरवाही के कारण होने वाली समस्त हानियों के लिये अनुबन्धकर्ता वितरक जिम्मेदार होगा।
6. दुग्ध वितरक के स्टॉफ द्वारा चोरी करते हुए पाये जाने पर पकड़े गये माल की (चोरी की) मात्रा की कीमत का बीस गुना राशि शास्ती के रूप में अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल की जा सकती है।साथ ही चोरी में लिप्तकर्मचारी को अपनी सेवा से मुक्त करना होगा। ऐसे व्यक्ति को पुनः आपके अथवा अन्य अनुबन्धकर्ता वितरक केवाहन पर सेवा हेतु नहीं रखा जा सकेगा।
7. अनुबन्धकर्ता वितरक/परिवहन ठेकेदार अपने दुग्ध सप्लाई के वाहन पर जो ड्राईवर/ हेल्पर लगाये जायेगें। उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए अर्थात् वो बालिग की श्रेणी में होना चाहिए। अनुबन्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने पर यदि किसी भी वाहन पर ड्राईवर / हेल्पर की 18 वर्ष से कम आये का पाया गया तो उसे टेण्डर शर्तो का उल्लंघन मानते हुए उक्त वाहन के दुग्ध वितरक / परिवहन ठेकेदार पर अनुशासनात्मक / शास्ति की कार्यवाही अमल में ली जावेगी। जिसके अन्तर्गत उसका टेण्डर भी निरस्त किया जा सकता है।
8. वितरक को श्रमिक 18 वर्ष की आयु से अधिक के ही लगाने होग। श्रमिक संक्रामिक रोग से ग्रसित न हो एवं ब्लेक लिस्टेड श्रमिक को किसी भी मार्ग पर पुनः नही लगाया जावे।
9. वाहन पर कार्यरत स्टॉफ की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना चाहिए।
10. अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा किसी दिन माल वितरण नहीं करने पर संघ द्वारा अनुबन्धकर्ता वितरक के हर्जे खर्चे वजोखिम पर व्यवस्था यदि की जाती हैं तो समस्तअतिरिक्त खर्चमय हानि की वूसली अनुबन्धकर्तावितरक से की जावेगी तथा अतिरिक्त रूपये 500/– प्रतिदिन का शास्ती भी वसूल की जावेगी परन्तु सामान्यतः संघवैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु बाध्य नहीं होगा।
11. प्राकृतिक आपदा व हड़ताल जैसे कारणों से अथवा अन्य कारणवश माल वितरण नहीं हो पाता है तो किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज संघ द्वारा देय नहीं होगा।
12. किसी भी जोन पर न्यूनतम दुग्ध मात्रा की गारन्टी देने हेतु संघ बाध्य नहीं है।
13. संघ अथवा उसका अधिकृत अधिकारी को अनुबन्धकर्ता वितरक के वाहन/ऑफिस/ सप्लाई प्वांइट/अन्य स्थानजो दूध वितरक के कार्य मे लिया जा रहा है, को किसी भी समय चैक करने का अधिकार होगा। इस संबंध मेंअनुबन्धकर्ता वितरक व उसके कर्मचारियों को सहयोग करना होगा।सहयोग नही करने की स्थिति मे शास्तीआरोपित की जावेगी एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।
14. अनुबन्धकर्ता वितरक के कर्मचारियों प्रतिनिधियों को संघ द्वारा दिया गया पत्र/ परिपत्र/ घी/ दुग्ध व अन्यसामान अनुबन्धकर्ता वितरक को दिया हुआ समझा जायेगा। उपरोक्त के निर्दिष्ट बूथ अथवा अनुबन्धकर्त्ता वितरकस्वयं के पास नहीं पहुंचने की स्थिति में जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता वितरक की ही होगी। अनुबन्धकर्ता को अपने वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स की छाया प्रति एवं हेल्पर का परिचय पत्र संघ में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व दो प्रति में प्रस्तुत करना होगा।
15. उपभोक्ताओं / दुग्ध विक्रेताओं को अच्छी सेवा देने हेतु संघ के प्रबन्ध संचालक अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध की किसी भी शर्त में परिवर्तन / संशोधन नई शर्ते लागू करने का अधिकार रखते है।
16. अनुबन्धकर्ता वितरक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ से दुग्ध की थैलिया गिनकर लिकेज छांटकर एवं जांच कर ले जाने के पश्चात् किसी भी तरह के विवाद के लिए अनुबन्धकर्ता वितरक स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रबन्ध संचालक द्वारा मान्य विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी दशा में दुग्ध वापस संयंत्र पर नही लिया जावेगा। प्राकृतिक आपदा, रास्ता जाम, हड़ताल, बाजार बन्द, वाहन दुर्घटना आदि कारण होने पर दुग्ध वापस संघ में नही लिया जावेगा।
17. शॉप एजेन्सी / बूथ / दुग्ध वितरण से तात्पर्य मार्ग मे चल रहें विक्रय केन्द्र / बूथ वितरण केन्द्र / शॉप एजेन्सी व भविष्य में संघ द्वारा प्रारम्भ किये जाने विक्रय केन्द्र से होगा। जिनको आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। दुग्ध मार्ग की लम्बाई भी आवश्यकतानुसार बढाई जा सकती है। जो अनुबन्धकर्ता को मान्य होगी।
18. अनुबन्धकर्ता वितरक को संघ द्वारा बूथो /शॉप ऐजेन्सी से आने वाली डिमाण्ड शीट (जो की बूथ /शॉप ऐजेन्सी संचालक द्वारा सीधे डेयरी को दी जावेगी) के उपलब्ध चार्ट / डिमाण्ड शीट के अनुसार सप्लाई करना होगा। अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा अपने स्तर पर मार्ग पर वितरण में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि किसी अधिकृत विक्रेता को अनुबन्धकर्ता वितरक स्वेच्छा से दुग्ध सप्लाई करता है तो शास्ति आरोपित करते हुए विक्रेता को हुई हानि की भरपाई करायी जायेगी।

19. यदि अनुबन्धकर्ता वितरक एवं बूथ एजेन्ट / शॉप एजेन्सी / बिक्री केन्द्र के बीच में किसी प्रकार का विवाद हुआ तो इस सन्दर्भ में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अन्तिम होगा।
20. प्रत्येकबूथ पर दुग्ध प्राप्त करने का समय वखाली क्रेटस वापस करने का समय व विक्रेता के हस्ताक्षर करवानेकी जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता वितरककी होगी। अगर हस्ताक्षर नहींकरवायेहोंगे तो किसी भी विवाद की स्थितिमें प्रबन्ध संचालक का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में संघ अधिकृतविक्रेता को हुई वास्तविक हानि मय वित्तिय जुर्माना भी अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल किया जावेगा।
21. अनुबन्धकर्ता वितरक को मार्ग के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराना होगा व बिना रूकावट के तथा दुग्ध का सही स्थिति में अधिकृत विक्रेता को उपलब्ध कराना होगा। उन विक्रेताओं कोजो गली अथवा अन्य तंग जगह परस्थित है, जहां कि बड़े वाहन नहीं जा सकते उन्हें अन्य किसी भी साधन से दुग्ध विक्रेता के विक्रय स्थल तकपहुंचाने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता वितरक की होगी।
22. दूध वितरक को दूध सप्लाई के दौरान उपयोग में ली गई खाली पौलिपैक प्लास्टिक दूध थैलिया संबंधित बूथ / शॉप एजेन्सी / पार्लर इत्यादि से संग्रहित कर वापस डेयरी डॉग पर लानी होगी।
23. वितरक को संघ द्वारा समय–समय पर जारी प्रशासनिक आदेश मानने होंगे तथा उसी अनुरूप वितरक को कार्य सम्पादित करना होगा।

(ब) <u>कार्यक्षेत्र का विवरण</u> :–

1. दुग्ध वितरक / अनुबन्धकर्ता का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण नगरपरिषद क्षेत्र टोंक शहर होगा। अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ की स्वीकृती पर अन्य शहर, कस्बो, मार्गो पर भी वितरण कर सकेगें परन्तु दुग्ध संघ के अन्य वितरक के क्षैत्र में वितरण नही कर सकेगे। परिस्थिति अनुसार कार्य क्षेत्र को घटाया– बढाया जा सकता है।
2. संबंधित वितरक को आवश्यकतानुसार वाहन की क्षमता बढानी होगी। जो टेण्डर शर्तानुसार निर्धारित मॉडल का होगा।

(स) <u>संघ द्वारा वितरक को उधार पर दूध व दुग्ध पदार्थ विक्रय की शर्ते व विक्रय प्रक्रिया</u> :–

1. दूध व दुग्ध पदार्थ के विक्रय के लिए संघ विक्रेता व अनुबन्धित वितरक क्रेता का सम्बन्ध माल विक्रय कानूनके प्रावधानों के अनुसार बाध्यकारी सम्बन्ध रहेगा। अनुबन्धित वितरक को दूध विक्रय संघ डिस्पेच डॉक पर हीबिल जारी कर दिया जावेगा। विक्रय किये गये माल की कीमत जारी बिल की मात्रा अनुसार संघ को चुकानीहोगी। चुंकि वितरक को दूध क्रय पश्चात आम जनता को शुद्ध ताजादूध की सप्लाई जनहित उपयोग कापदार्थ होने के कारण स्थानीय प्रशासन को कानून व्यवस्था में अडचन न हो अतः माल की वितरण प्रभावी के निम्न निर्देश पालन करने होंगे।

(द) <u>दुग्ध बिक्री राशि संग्रहण कर जमा कराने का कार्यः–</u>

1. वितरक को प्रतिदिन मांग पत्र की राशि संघ खाते मे उसी दिन आरटीजीएस/नेफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी तथा बैंक के कार्य दिवस नही होने पर अगले दिवस को राशि संघ खाते मे जमा करवानी होगी । तथा अनुबन्धकर्ता को कार्य आदेश के साथ पांच खाली चैक संघ कार्यालय में जमा करवाने होगें।
2. अनुबन्धकर्ता वितरक को दुग्ध विक्रेताओ से दुग्ध राशि संग्रहण करने के लिए अधिकृत अपना स्टॅाफ / घोषण पत्र मय नाम, पता, उम्र, फोटो (आई कार्ड) चार प्रति में जारी करना होगा। जिसकी एक प्रति विपणन प्रभारी, प्रभारी प्लान्ट, एक प्रति संबंधित स्टॅाफ को व एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगा।
3. बैंक गारन्टी की राशि दुग्ध बिक्री राशि को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जा सकेगी।
4. बूथ एजेन्ट/शॉप एजेन्टको डीलर द्वारा दुग्ध राशि प्राप्ति की रसीद देनी होगी।रसीद प्रस्तुत न होने पर किसी भी विवाद की सुनवाई नही की जावेगी।
5. दुग्ध वितरण की राशि संग्रहित कर वितरक स्वयं अपने पास रखेगा। वितरक डेयरी डॉग संघ में बाउचर लेते समय बाउचर में संघ खाते ते जमा करवाई गई राशि की प्राप्ति रसीद व विवरण प्रस्तुत करेगें ।
6. प्रबन्ध संचालक अथवा प्रभारी विपणन यह पाता है कि अनुबन्धकर्ता वितरक की बैंक गारन्टी एवं धरोहर राशि की सीमा से अधिक मूल्य का दूध विक्रय हेतु ले जाता है अथवा पाया जाता है कि अनुबन्धकर्ता वितरक लगातार दो बार पूरी दूध विक्रय राशि संघ मे या संघ बैंक खाते में जमा कराने में चूक करता है तो उस दशा में संघ का विपणन विभाग अपना स्टॅाफ लगाकर दूध विक्रय राशि दुग्ध विक्रेता से एकत्रित करेगा जिसका प्रशासनिक व्यय सात सौ रूपये प्रतिदिन अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल किया जा सकेगा एवं अनुबन्ध वितरक के इस गंभीर कृत्य के लिये प्रबन्ध संचालक बिना नोटिस के अनुबन्ध समाप्त कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा व सम्पूर्ण रिस्क एवं कास्ट खर्च अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल किया जायेगा।
7. संघ की दुग्ध विक्रय राशि का चैक अनादरण होने की स्थिति में या अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा राशि का गबन कर लेने की स्थिति में या जानबूझकर अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा संघ कोष को रोक लेने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता के बाकियात से वसूली पश्चात् संघ प्रबन्ध संचालक दीवानी व फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर भारतीय दण्ड संहिता के अनुरूप न्यायालय या सक्षम अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वसूली की कार्यवाही करने का भी अधिकार रखते है।
8. अनुबन्धकर्ता वितरक अपने हित में कैश इन सेफ व केश इन ट्रांजिट बीमा पॉलिसी लेता है तो उपयुक्त रहेगाइससे वह अपने हित की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकेगा। रोकड़ संग्रहणराशि सुरक्षित रखने व रोकडराशि लाने व ले जाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता वितरक की ही होगी एवं हर परिस्थिति में संघ कीदूघ विक्रय राशि को संघ में या संघ बैंक खाते मेंजमा कराना अनिवार्य हैं।

9. अनुबन्धकर्ता वितरक को अन्य उत्पाद जैसेः– बटर, पनीर, श्रीखण्ड, छाछ, फ्लेवर्ड मिल्क, टेट्रा पैक आदि कावितरण **दूध की अनुमोदित दर** से संघ आदेशसे करना होगा। जिसका भुगतान अनुमोदित दर के अनुसारकिया जायेगा। निर्देशानुसार अन्य उत्पादों का वितरण न करने पर उचित शास्ती आरोपित की जायेगी एवं संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त व्यय अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल किया जा सकेगा।
10. राजकीय विद्यालय/ अन्य संस्थानों, जिन्हें संघ **एक माह तक Credit (उधार) दूध देना निर्धारित करती है**उन्हें अनुबन्धकर्ता वितरक को उधार दूध वितरण करना होगा। इस दूध की मात्रा पर वितरक को दुग्ध विक्रेता को दिया जाने वाला **ट्रेड मार्जिन (परिवहन व्यय) वितरक दर अनुसार ही देय होगा।** इस प्रक्रिया मे किसी भी तरह का दूध संघ द्वारा आंशिक / पूर्ण संशोधन वितरक को मान्य होगा।
11. निविदादाता द्वारा डेयरी मे कार्य करते हुए डेयरीसे सम्बन्धित अन्य ब्राण्ड (दूध,घी, व अन्य उत्पाद) वस्तुओका व्यापार निजी तौर पर नही करेगा। अगरइस प्रकार का व्यापार करते पाया गया तो प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा आगामी शेष अवधि का अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
12. निविदादाता द्वारा संरस दुध उत्पाद एवं संघ द्वारा निधार्रित वस्तुओ केअलावा अन्य वस्तओं का विक्रय/वितरण विक्रेता को नही किया जायेगा। अन्य वस्तुओ का विक्रय करते पाये जाने पर अनुबन्ध निरस्तकिया जा सकेगा।
13. चैक अनादर होने पर संघ द्वारा प्रति चैक 500रू. शास्ति एवं बैक द्वारा लगाया गया चार्ज वसूल किया जायेगा। तीन चैक से अधिक अनादर होने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
14. संघ में अरनेस्ट मनी 500000/– रू. एवं क्रेट्स की एवज में 100000/– रू. NEFT / RTGS / DD द्वारा जमा कराना होगा। जिसका कोई ब्याज संघ द्वारा नही दिया जायेगा तथा कार्य आदेश के उपरान्त निविदाता को संघ का नॉमिनल सदस्य बनना होगा।
15. वितरक अपनी सप्लाई अनुसार अधिकतम 20 प्रतिशत क्रेट्स बकाया रख सकता है। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से क्रेट्स स्टेटमेन्ट के अनुसार वितरक द्वारा क्रेट्स जमा कराना होगा। 20 प्रतिशत से अधिक क्रेट्स बकाया होने पर क्रेट्स की धरोहर राशि में से 250 रू. प्रति क्रेट्स अथवा प्रचलित दर जो भी अधिक हो वसूल करके धरोहर राशि में से राशि कम करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
16. स्वीकृत फर्म को कार्य आवंटन करने से पूर्व संघ के साथ नियमानुसार स्टाम्प पेपर लाकर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करना होगा।
17. उपरोक्त समस्त शर्ते मैने पढ़ ली है व मान्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता

मय सील पूरा पता

अनुबन्ध का प्रारूप

AGREEMENT

This agreement has been made on this………………… Day of month ……………. Year …………… between Shri…………………………………………..S/o…………………………………………… R/o ……………………………………………… (hereinafter called the route distributor) which in

expression shall, where the context so admits be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators) and the Managing Director of Tonk Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Tonk (hereinafter called to the sangh) which in expression shall where the context so admits be deemed to include his successors in office of the persons deputed by the Managing Director for the purpose.

Where as the distributor has agreed to purchase the milk & milk products from Sangh by paying the purchase value of milk & milk products as cash payment basis and will supply the products as per instruction of sangh at the specified destination and will maintain cold chain to keep safe grand the quality of products on the other hand to up keep this contract the sangh will sale/supply the milk & milk products to the distributors as per the terms and conditions & the manner set forth in the tender documents which is the part of the contract and appended here with and the agreement.

Now the contract conditions are witnessed on follows.

1. Where as the distributor has deposited Rs…………../- vide Sangh receipt No. ………….Dated……………… as security deposit for the due performance of the aforesaid agreement and bank guarantee of Rs…………………………………..Issued by bank…………………………….Place ……………………………….inform of sangh valid form…………………. To………………in performance of contracted job, both parties agrees as under :-

2. The condition of the tender and contract enclosed the tender notice no. ………………Dated……………and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on both the parties executing this agreement.

3. Whereas this agreement has/ will come into force for the period with effect from……………………and will remain in force upto……………………and can be terminate earlier also by given of suitable notice by the Managing Director, Tonk Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Tonk to the………………………………

4. In case of non fulfillment of all or any of the conditions of the contract by the distributor penalty at the rates mentioned in the terms and conditions attached with tender and also appended with this agreement shall be recovered either out of the dues of the distributor's property in case security is not sufficient to recover the damage of the sangh. The contract can also be terminated in such case.

5. In the event of the distributor shall be responsible for made alternate arrangement for the prescribed manner. In case of the distributor due to some lapses on part of the distributor, distributor will have to bear the losses sustained by Sangh. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretations of this agreement shall be decided by the Managing Director of the Sangh and decision of the Managing Director shall be final and binding on both the parties executing the agreement.

6. The jurisdiction of the disputes is restricted to Tonk only.

In witness of the parties here to set their hands on this………………………………….Day of…………………………..2017.

Signature of Distributor	Signature for and on behalf of the sangh
Witness :	Witness :
1. ……………………..	1. ………………………
2. ………………………	2. ……………………

बैंक गारन्टी का प्रारूप

This deed of Guarantee made this day of (Twenty ________________) by _________ hereinafter referred to Bank, which shall unless repugnant to the context or the meaning thereof includes its legal representative, successors and assigns and the Tonk Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Tonk, (hereinafter referred to as the SANGH) which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of include its legal representative, successors or assigns.

WHEREAS the Tonk Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Tonk, has awarded a contract dated __________for distributorship of SARAS packed milk on the route name

_____________as per the tender terms and conditions of Tonk Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Tonk, AND WHEREAS the Distributor has agreed to submit a performance security in the form of a Bank Guarantee to the Sangh as per the terms condition of Agreement contract which will be kept valid up to from the date of Bank Guarantee. AND WHEREAS, the bank and its duly constituted agent and officer has already understood the agreement contract made between the Sangh and the distributor.

In consideration of the SANGH having agreed to award the contract on the distributor, we (the Bank), do hereby guarantee, undertake, promise and agree with the Sangh, its legal representatives, successors and assigns that the within name M/s _______________________their legal representative and assignees will faithfully perform and fulfill everything within the binding document and the agreement contract on their part to be performed of fulfilled, at the time (time being the essence of the contract) and in the manner herein provided do all obligations there under and we further undertake, and guarantee to make payment to Sangh a sum of Rs. ________ (Rs.___________ only) in cases the distributor their legal representative and assignees do not faithfully perform and fulfill everything within the binding documents and all contract order/ terms and conditions on their part to be performed or fulfilled, at the time and in the manner herein provided and do not willfully and promptly do all obligation there under. In case the distributor fails to perform or fulfill the agreement as per the terms and conditions agreed upon, the Sangh is entitled to demand and amount Rs.__________(Rs. ________only) from the distributor and demand made by the Sangh itself will be conclusive evidence and proof that the distributor has failed to perform of fulfill his obligations under agreement contract and neither the distributor nor the Bank shall be entitled to raise any dispute regarding the reasons for the failure or performance of fulfillment on any ground whatsoever. We the ________________Bank (Name & Address) do hereby undertake to pay an amounting Rs. _________(Rs. _________only) being the amount, due and payable under this guarantee, without any demur, merely on a demand from the Sangh Stating that the amount claimed in due by way of non performance of the contractual obligations as aforesaid by the distributor failure to perform the said contractual commitments any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee, however our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. _________(Rs.________only) . We the Bank, further agree that the performance security contained shall remaining in full force up to ________

from the State of Bank Guarantee of till the Sangh certifies that the terms and condition of the said contract have been fully and properly carried out by the distributor/transporter and accordingly discharge the guarantee, unless a demand of claim under these guarantee is made on us in writing by the Sangh on or before _________________. We shall be discharged from all liabilities under this performance security hereafter.

We, ____________________(Name & address of Bank), further agree with the Sangh that the Sangh shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the binding documents and

agreements contract or to extend the time of performance by the said distributor from time to time for any of the power exercisable by the Sangh against the distributor and do forbear or enforce any ui8i9of the terms and conditions relating to the said binding documents and the agreement contract and we shall be relived our liability by reason of any such variation, of extension being granted to the said distributor, or for any forbearance, act omission on the part of the Sangh to the said distributor by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have effect of so reliving us.

This Guarantee shall be in addition to and without prejudice to any other securities of remedies which the Sangh may have or hereafter possess in respect of the works executed or intended to the executed and the Sangh shall be under no obligation to marshal in favor of the Bank any such securities of fund of assets that the Sangh may be entitled to receive or have a claim upon and the Sangh at its absolute discretion may vary, exchange, renew, modify of refuse to complete to enforce or assign any security or instrument.

The Bank agree that the amount here by guaranteed shall be due to payable to the Sangh on serving us with a notice, requiring the payment and such notice shall be deemed to have been served on the bank either by actual delivery there of to the bank or by dispatch there of to the bank by registered post at the address of the bank.

In order to give full effect to the provisions of this guarantee the bank hereby waives all right inconsistent with the above provisions and which the bank might otherwise as a guarantor be entitled to claim and enforce.

We, ____________________(Name & address of Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency with the previous consent of the Sangh in writing and the guarantee shall be continuous and irrevocable guarantee up to a sum of Rs. ________(Rs. _________only) (guarantee amount). The Bank Guarantee shall be valid up to ________________ unless a demand or claim in writing is made on us before _______________. After it the guarantee will automatically cease the validity.

Place:

Date :

Signature

Seal

Code No

भाग ‘ब’

वित्तीय निविदा

<u>परिशिष्ठ –7</u>

टेण्डर फार्म भाग ''ब''

1. विषय : टोंक शहर में पोलीपैक दुग्ध परिवहन, वितरण क्रेट्स संग्रहण एवं दुग्ध राशि जमा करवाने हेतु।

2. क्षैत्र का नाम : ....
3. नाम निविदादाता : ....
4. पिता का नाम : ....
   स्थायी पता : ....
   ....
   जिला .... टेलीफोन नम्बर ....
5. निविदादाता की फर्म का नाम : ....
6. निमित : **प्रबन्ध संचालक टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 टोंक**
7. निविदा सूचना : .... दिनांक ....
8. निविदा सूचना एवं निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्ते उपबन्धों एवं विशेष शर्तो को मैने पढ लिया है। समझ लिया है। जो मुझे पूर्णतः स्वीकार है। जिसके सहमति प्रमाण स्वरूप मैने/हमने निविदा फार्म के भाग ''अ'' पर हस्ताक्षर किये है। निविदाकार्य अनुसार वितरक मार्जिन निम्नानुसार है।
9. दरे दशमलव पैसो में स्वीकार नही की जावेगी अतः निविदादाता अपनी दरे राउन्ड अप पैसो में देंगे। यदि रूपये व पैसे सहित दर है तो रूपये व दशमलव पश्चात् दो अंको में ही पैसे लिखेगा।

नोट :– निविदा दाता उक्त प्रपत्र पूर्ण रूप से भर कर अलग अपलोड करे। दरे निर्धारित BOQ फॉरमेट में ही ऑनलाईन भरे।

हस्ताक्षर निविदादाता

मय सील एवं पूरा पता